न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी – राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 409 / 2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा –88 आरटीए

हरविन्द्र सिंह पुत्र मालासिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया

वादी

बनाम

1 मलासिंह पुत्र बख्तावरसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया।
2 श्रीमान तहसीलदार राजस्व महोदय, संगरिया जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित

1 श्री नवरत्न स्वामी वकील वादी
2 श्री कन्हैयाला स्वामी – वकील प्रति सं. 1
3 तहसीलदार राजस्व संगरिया– राज–पैरोकार प्रति.संख्या 2

निर्णय दिनांक – 2.8.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 मालासिंह पुत्र बख्तावरसिंह तहसील राजस्व संगरिया के चक नं. 21 एएमपी खाता सं. 20/12 मे कुल खाता 11.891है. में से 1/8 हिस्सा यानि 1.486है. नहरी कृषि भूमि का विरासतन खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबंदी हमराह दावा प्रस्तुत है। उक्त समस्त कृषि भूमि हमारी विरासतन कृषि भूमि है। जिसमें मुझ वादी का जन्मजात हक व हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य घरूतौर पर विरासतन कृषि भूमि का अच्छी मंदी के अनुसार बंटवारा हो चुका है। मुताबिक घरूबंटवारा के मुझ वादी के हिस्सा में चक नं. 21 एएमपी खाता सं. 20/12 में कुल खाता 11.891है. मे से 1/8 हिस्सा यानि 1.486है. में से 1.012है. नहरी कृषि भूमि हिस्सा में आई है। जिसका वादी खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का हकदार एवं दावेदार हूं। वादी ने अपने पिता प्रतिवादी सं. 1 से कई दफा अनुनय विनय की कि घरूबंटवारा मुताबिक हक हिस्सा में आई कृषि भूमि का मुझ वादी को विरास्तन खातेदार काश्तकार मान लेवे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम से अमल दरामद [illegible] पहले तो टाल मटोल करते रहे एवं अंत में पिछले सप्ताह [illegible] कर दिया। बस यही विनाय दावा है। वाद पत्र की चरण [illegible] भूमि हमारी विरास्तन है। जिसमें मुझ वादी का जन्मजात [illegible] प्रतिवादी स 1 से अलग रहकर घरूबंटवारा मुताबिक हक हिस्सा में आई कृषि भूमि पर काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उक्त कृषि भूमि को काश्त करने हेतु बीज खाद हेतु बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता बनी रहती है अतः वादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.09.07 11:57:53 IS
Reason: SelfAttested

घरूबटवारा मुताबिक हिस्सा मे आई कृषि भूमि का विरासतन काश्तकार घोषित नही किया गया तो वादी को कभी न पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धन से न हो सकेगी। प्रतिवादी स 2 से किसी प्रकार का डायरेक्ट अनुतोष नही चाहा गया है, भूमि धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

लिहाजा वाद वादी पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात वाद वादी निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे कि चक न 21 एएमपी खाता स 20 / 12 मे वादी 1 012है नहरी कृषि भूमि का विरासतन खातेदार काश्तकार है। चक न 21 एएमपी खाता स. 20 / 12 मे प्रतिवादी स. 1 का 1.012है. हिस्सा कम किया जाकर वादी का नाम जोड़ा जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर रिमदार की रिपोर्ट ली गई। वादी-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एव प्रति.स. 1 ने जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 2 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया तथा चक 21 एएमपी खाता स. 20 / 12 की जमाबंदी प्रदर्श 1 करवाई गई है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 21 एएमपी खाता संख्या 20 / 12, जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में 1.486 हैक्ट. कृषि भूमि मालासिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 21 ए.एम.पी. की प्रमाणित जमाबन्दी प्रदर्श 1 करवाई गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 पिता / पुत्र है तथा वादग्रस्त आराजी वाद पत्र वर्णितानुसार प्रदर्श 1 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जो प्रदर्श [illegible] वादी / प्रतिवादी संख्या 1 के मध्यराजीनामा पेश हो चुका है। [illegible] वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए [illegible] कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.07 11:57:5
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

विरोध नही किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अत: वाद वादी उक्त राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है चक 21 एएमपी के खाता संख्या 20/12 में प्रतिवादी संख्या 1 मालासिह के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादी को 1.012 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक हिस्सा कम किया जाता है। पक्षों डिक्री अलग से होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 2.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास मे सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लंगरिया
लंगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:57:53 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

अ आदेश 20 नियम 6 7 या प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

प्रकरण संख्या 409 / 2024

हरपिन्द सिंह पुत्र मालासिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया

वादी

बनाम

1 मालासिंह पुत्र बख्तावरसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया।
2 श्रीमान तहसीलदार राजस्व महोदय, संगरिया जिला हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं 1 श्री कन्हैयालाल एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दाद वादी डिक्री किया जाता है कि :– चक 21 एएमपी के खाता संख्या 20 / 12 में प्रतिवादी संख्या 1 मालासिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादी को 1.012 है कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक हिस्सा कम किया जाता है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज ✗ नल ✗ मुब्लिक ✗ निल ✗ बाबत ✗ निल ✗ खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ✗ अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत आज दिनांक 3.09.2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:57:53 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया